

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा), बाड़मेर

क्रमांक : प. 35() () आ.प्र. एवं सहा./Covid-19/2020/1033

दिनांक : 03/04/2020

आदेश

श्रीमान् शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक प. 4(10)वित्त/आबकारी/2018 पार्ट-1 जयपुर दिनांक 26.03.2020 की पालना में विभिन्न स्वास्थ्य संस्था/अस्पताल, वायरस संक्रमण को रोकने के लिये कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों, आवश्यक सेवाओं संबंधी कर्मचारियों एवं आमजन इत्यादि को हैण्ड सेनिटाइजर्स उपलब्ध करवाने बाबत कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, बाड़मेर के पत्रांक 1645 दिनांक 27.03.2020 के द्वारा 210 कार्टन (10080 बोटल्स) प्राप्त होनी है। उक्त प्राप्त हैण्ड सेनिटाइजर्स का वितरण जिले की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुये निम्नानुसार विभिन्न विभागों/कार्यालयों को आवंटन किया जाता है :-

क्र.सं.	विभाग/कार्यालय का नाम	आवंटित कार्टन संख्या
1.	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर	100
2.	कार्यालय डिपो मैनेजर RSBCL	5
		105

उपरोक्त कार्यालयों को सेनिटाइज का वितरण राजस्थान राज्य स्टेट ब्रेवरेजेजे कॉर्पोरेशन लि. आर.एस.बी.सी.एल.डिपो, सेन्द्रल स्कूल के सामने, जैसलमेर रोड़, बाड़मेर से प्राप्त करेंगे।

डिपो मैनेजर, आर.एस.बी.सी.एल., बाड़मेर शेष 11 कार्टन रिजर्व में रखना सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु आवश्यकतानुसार आदेश जारी करने पर संबंधित विभाग को आवंटित करेंगे।

(विश्राम जीणा)

जिला कलक्टर

आ.प्र. सहा. एवं ना.सु., बाड़मेर

क्रमांक : प. 35() () आ.प्र. एवं सहा./Covid-19/2020/1034-35 दिनांक : 03/04/2020

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर
2. डिपो मैनेजर, आर.एस.बी.सी.एल., बाड़मेर

जिला कलक्टर

आ.प्र. सहा. एवं ना.सु., बाड़मेर